



2026:AHC:125113

**उच्च न्यायालय, इलाहाबाद**

**आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 10700 सन् 2026**

राकेश यादव तथा 2 अन्य

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा एक अन्य

...विपक्षी(गण)

---

आवेदक(गण) के ओर से अधिवक्ता : सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के ओर से अधिवक्ता : विमल श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या - 33**

**माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला**

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूरक शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, विपक्षी सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री विमल श्रीवास्तव की ओर से ब्रीफ धारण करने वाले श्री सतेन्द्र कुमार द्विवेदी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अधीन आक्षेपित आरोप पत्र संख्या 274 सन् 22 दिनांक 24.12.2022 तथा संज्ञान आदेश दिनांक 08.06.2023, जिसके द्वारा आवेदक सं. 1 के विरुद्ध धारा 376, 506 भा.द.सं. के अधीन तथा आवेदक सं. 2 एवं 3 के विरुद्ध धारा 504 एवं 506 भा.द.सं. के अधीन संज्ञान लिया गया है, को तथा थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर के मुकदमा अपराध संख्या 296/2022, धारा 376, 504, 506 भा.द.सं. में आपराधिक मामला संख्या 341/2023 (राज्य बनाम राकेश यादव) की संपूर्ण कार्यवाही, जो विद्वान अपर सिविल

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जज (कनिष्ठ श्रेणी), नवीन न्यायालय संख्या III/न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर के न्यायालय के समक्ष लंबित है, को अभिखंडित/अपास्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि पक्षकारों ने समझौते के माध्यम से अपना विवाद निपटा लिया है, जिसे विद्वान ए.सी.जे.एम.-IV, जौनपुर के न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2025 के आदेश द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित किया गया है।

5. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि पक्षकारों ने स्वेच्छा से समझौता किया है, न कि किसी दबाव, धमकी या प्रपीड़न के अधीन, तथा वे संबंधित न्यायालय में लंबित मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं, अतः पक्षकारों के मध्य समझौते के आधार पर आक्षेपित कार्यवाही अभिखंडित की जाए तथा वे प्रतिशपथ-पत्र एवं प्रत्युत्तर शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

6. विपक्षी सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार किया है तथा कथन किया है कि यदि आवेदकगण के विरुद्ध लंबित आक्षेपित कार्यवाही को अभिखंडित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता भी दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई दलीलों की शुद्धता पर विवाद नहीं करते हैं।

8. पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर मामले को अभिखंडित करने के संबंध में विधि सुस्थापित है।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने संविधान पीठ के निर्णय **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य तथा एक अन्य, (2012) 10 एस.सी.सी. 303** में यह अभिनिर्धारित किया है कि

*"किन्तु वे आपराधिक मामले, जिनमें अभिभावी एवं प्रमुख रूप से सिविल स्वरूप विद्यमान हैं, अभिश्रेणीन के प्रयोजनों के लिए भिन्न स्थिति में हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, भागीदारी या ऐसे ही संव्यवहारों से उद्भूत अपराध अथवा दहेज इत्यादि से संबंधित वैवाहिक अपराध या पारिवारिक विवाद, जहाँ दोष मूलतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का*

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है तथा पक्षकारों ने अपना संपूर्ण विवाद सुलझा लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाहियों को अभिखंडित कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी एवं पीड़ित के मध्य समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना क्षीण एवं धूमिल है और आपराधिक मामले का जारी रहना अभियुक्त को घोर उत्पीड़न एवं पूर्वाग्रह में डालेगा तथा पीड़ित के साथ पूर्ण एवं संपूर्ण समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को अभिखंडित न करने से उसे अत्यधिक अन्याय कारित होगा।"

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर तथा अन्य बनाम गुजरात राज्य तथा एक अन्य, (2017) 9 एस.सी.सी. 641 में अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाहियों को अभिखंडित करने के व्यापक सिद्धांत इस आधार पर प्रतिपादित किए हैं कि "असंयोज्य मामलों में भी समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाहियों को अभिखंडित किया जा सकता है ताकि न्यायालय का बहुमूल्य समय बचाया जा सके तथा अन्य सारवान मामलों में उपयोग किया जा सके।"

11. दोनों पक्षकार संबंधित न्यायालय में उनके मध्य लंबित कार्यवाहियों को वापस लेने हेतु सहमत हैं। अभिलेखों तथा उपर्युक्त उद्धृत विधि के अवलोकन से, वर्तमान मामला तलबी आदेश तथा संपूर्ण कार्यवाही को अभिखंडित करने हेतु न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए उपयुक्त मामला है।

12. विवाद विशुद्ध रूप से सिविल प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसे पक्षकारों के मध्य उनकी संपूर्ण संतुष्टि तक पारस्परिक रूप से निपटाया गया है, अतः अभियोजन को आगे जारी रहने देने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

13. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अधीन प्रस्तुत अभिश्रेणीन हेतु वर्तमान आवेदन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा एक अन्य, आपराधिक अपील संख्या 3831/2025, एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या 11642/2019, दिनांक 02.09.2025 में तथा साथ ही मधुकर एवं अन्य; प्रभाकर बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा एक अन्य, 2025 आई.एन.एस.सी. 819 के मामले में प्रतिपादित निर्णयों के भीतर आता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. दिनांक 18.07.2025 की समझौता सत्यापन आख्या के अनुसार, थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर के मुकदमा अपराध संख्या 296 सन् 2022, अन्तर्गत धारा 376, 504, 506 भा.द.सं. में आपराधिक मामला संख्या 341/2023 (राज्य बनाम राकेश यादव) की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा अभिखंडित की जाती है।

15. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अधीन वर्तमान आवेदन तदनुसार **स्वीकार** किया जाता है।

**जून 3, 2026**

शिवानी श्री

(माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।